(ग) जी नहीं, राजकोट दूरसंचार क्षेत्र में राष्ट्रीय नीति अपनाई जाती है।

(घ) जी नहीं, आवेदन पत्रों की मंजूरी तथा पंजीकरण के लिए राशि जमा कराने का कार्य सभी कार्य दिवसों में किया जाता है।

(ङ) उक्त भाग (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश की निशानी शाखा में डाक का वितरण

†1806. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि निशानी शाखा डाकघर की डाक का वितरण अरसू उप डाकघर के माध्यम से करवाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विभाग को इस संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) निशानी शाखा डाकघर का लेखा कार्यालय निरमंड उप डाकघर से बदल कर दिनांक 30.9.94 से अरसू उप डाकघर कर दिया गया ताकि डाक का त्वरित पारेषण सुगम बनाया जा सके। इस मौजूदा व्यवस्था में डाक उसी दिन वितरित कर दी जाती है जबकि पहले की व्यवस्था में डाक एक दिन विलंब से वितरित की जाती थी।

(ग) और (घ) एक सुझाव यह मिला था कि 30.9.94 से पहले की व्यवस्था को ही जारी रखा जाए। तथापि उपर्युक्त (क) और (ख) में उल्लिखित कारणों से इस सुझाव को स्वीकार करना व्यवहार्य नहीं पाया गया।

Telephone Adalats in Gujarat

1807. SHRI AHMED PATEL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of telephone adalats held in different parts of Gujarat during the last three years, year-wise and district-wise;

(b) the total number of cases resolved in these adalats, year-wise; and

(c) the steps Government propose to take to popularise telephone adalats in the State?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VERMA): (a) As per State (*See* below)

(b) Year	No. of cases settled in these Adalats
1993-94	385
1994-95	507
1995-96	386

(c) Due publicity is given in the leading newspapers sufficiently in advance of the date of the Adalat, inviting grievances which could not be settled earlier.